बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–22.06.2017 को अपराह्न 12.30 बजे मुख्य सचिवालय सभागार में सुखाड़ प्रबंधक हस्तक 2016 (Manual for Drought Management 2016) संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः संलग्न।

बैठक में **प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन द्वारा** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सुखाड़ प्रबंधन हस्तक 2016 (Manual for Drought Management 2016) के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि सुखाड़ प्रबंधन हस्तक 2016 में निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई की जानी है –

- सुखाड़ प्रबंधन हस्तक 2016 के प्रावधान के अनुरूप संकेतांको का विश्लेषण किया जाना है तथा यह सुखाड़ घोषणा हेतु बाध्यकारी है।
- राज्य एवं जिला स्तर पर सुखाड़ की स्थिति पर नजर रखने हेतु सुखाड़ अनुश्रवण केन्द्र (Drought Monitoring Centre) का गठन किया जाना है।
- राज्य स्तरीय सुखाड़ अनुश्रवण केन्द्र में मौसम विज्ञान विभाग, जल विज्ञान, सुदूर सवेदी, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ/ वैज्ञानिक को रखा जाना है।
- सुखाड़ अनुश्रवण केन्द्र के द्वारा नियमित अंतराल पर सुखाड़ प्रबंधन हस्तक 2016 में उल्लेखित संकेतांको के आलोक में विभिन्न संस्थाओं से आकड़ों का संग्रहण कर इसका विश्लेषण, अभिलेखीकरण एवं अनुश्रवण किया जाएगा तथा समय–समय पर प्रतिवेदन एवं सुझाव उपलब्ध कराया जाएगा ।
- जिला स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) तथा सुखाड़ आकस्मिक कोषांग (Drought Contingency Cell) का गठन किया जाना है।

मुख्य सचिव के द्वारा निम्न निर्देश दिए गए :–

- सुखाड़ अनुश्रवण केन्द्र का गठन प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में की जाय तथा सदस्य के रूप में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना के प्रभारी निदेशक, श्री आनन्द शंकर, कृषि विभाग के निदेशक पी0पी0एम0, श्री डी0 पी0 त्रिपाठी, निदेशक बामेति, श्री गणेश राम, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख, सिंचाई, श्री राम पुकार रंजन, विज्ञान एवं

प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत Bihar Remote Sensing Application Centre के परियोजना पदाधिकारी, श्री जय प्रकाश सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह एवं लघु जल संसाधन विभाग के अधिक्षण अभियंता (अनुश्रवण), श्री रविन्द्र कुमार सिंह होंगे, जो प्रत्येक सोमवार को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में बैठक करेंगे एवं संकेतांको के आंकड़ों का विश्लेषण कर सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे जिसे आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में अवगत कराया जाएगा।

- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सुखाड़ अनुश्रवण केन्द्र का गठन किया जाय, जिसमें जिला स्तरीय कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग के विशेषज्ञ / पदाधिकारी को नामित किया जाय।
- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आपातकालीन प्रबंधन समूह तथा सुखाड़ आकस्मिक कोषांग का गठन किया जाय, जिसमें जिला स्तरीय पूर्व से गठित टास्क फोर्स के सदस्यों को नामित किया जाय।
- सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में सुखाड़ प्रबंधन हस्तक 2016 के अनुरूप संशोधन कर ली जाय।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक 2016 में उल्लेखित संकेतांको के नियत काल के आंकड़े प्राप्त करने हेतु संबंधित केन्द्रीय संस्थान से अनुरोध किया जाए।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना से प्रेषित वर्षापात के आंकड़े तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के वर्षापात के आंकड़े में अधिक भिन्नता पाये जाने पर इसकी जांच के लिए निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को निदेश दिया गया।
- कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में सूचना संबंधित विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिससे प्रत्येक बुधवार को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अवगत कराया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0 / –
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–17/2011 ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ कृषि विभाग/ सहकारिता विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–17/2011 ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–17/2011 ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–17/2011 ...1766.../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 27/6/17

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव